बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को समर्पित बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से संबंधित प्रमुख बिन्दु

1. उद्योग द्वारा दिए गए आवेदनों को यदि बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा किसी कारणवश उस आवेदन को रद्द किया जाता है तो पुन: आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क का प्रावधान नहीं होना चाहिए ।

2. व्यवसाय एवं उद्योग में बहुत सारे खतरनाक (Hazards) electronic or non-electronic कचरा निकलता है जिसके निस्तारण (Disposal) का प्रावधान e-waste collection के भांति किया जाना चाहिए ।

3. सैमसंग मोबाईल वर्कशोप को कम्पनी की ओर से e-waste collection Centre के रूप चिन्हित किया गया है परन्तु इसके कोई भी सेन्टर को इसकी जानकारी नहीं है ।

4. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme) में बिहार के 10 प्रमुख शहरों यथा – पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार आदि को समाहित करने हेतु आपके स्तर से अनुशंसा किया जाना चाहिए ।

5. वायु प्रदूषण की समस्या आय दिन बढ़ती जा रही है । हवा को खींचकर फिलटर की मदद से हवा में घुले सभी छोटे–छोटे कणों को छानकर वायुमंडल में साफ हवा छोड़ने के लिए पटना में भी मशीन लगाने का प्रस्ताव था इस संबंध में आपसे अद्यतन जानकारी चाहेंगे ।

6. राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्णत: प्रतिबंध का दायित्व अन्य विभागों के साथ–साथ आपको भी दिया गया है । इस संबंध में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चला कर बताया जाए जिससे कि लोगों के बीच व्याप्त भ्रांतियॉ दूर हो सके ।

7. ध्वनि प्रदूषण पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है परन्तु अभी भी ऐसा देखा गया है कि प्रतिबंधित अवधि जो रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक की है, इसमें भी Loud Speaker बजाया जाता है । अत: इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित

क्रमश:.........2

किया जाना चाहिए । साथ ही पटना के विभिन्न भागों में अवस्थित होटलों एवं मैरेज हॉल के बाहर सख्ती से अनुपालन का बोर्ड लगाया जाना चाहिए तथा उक्त बोर्ड में इसके Violation पर उसकी सूचना देने के लिए संबंधित पदाधिकारियों का मोबाइल नम्बर भी दिया जाना चाहिए । शादी–विवाह में देर रात को बजनेवाले डीजे, बैण्ड आदि पर सख्ती से रोक लगाए जाने की आवश्यकता है ।

8. मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत वाहनों में लगे हॉर्न की तीव्रता (decibel) निर्धारित है लेकिन पटना शहर के बस, सरकारी एवं निजी वाहनों के हॉर्न की तीव्रता निर्धारित decibel से अधिक है । इस पर रोक लगाना चाहिए क्योंकि इसका प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के श्रवण क्षमता को बूरी तरह प्रभावित कर रहा है । तीव्र ध्वनि को मनुष्य का मस्तिष्क विश्लेषण नहीं कर पाता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति या तो क्रोधित हो जाता है या उसका रक्तचाप बढ़ जाता है।

9. उद्योगों के आवेदनों को लम्बे समय तक लंबित रखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक बिलम्ब होता है अतः इसके लिए समय सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए ।

10. नमामी गंगे योजना के तहत केन्द्र सरकार ने प्रदूषण पर रोक हेतु पटना एवं बरौनी में जॉच प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण की मंजूरी दी थी इस संबंध में आपसे अद्यतन जानकारी चाहेंगे ।

11. भारत सरकार के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व हेतु आपके स्तर से अनुशंसा किया जाना चाहिए ।

12. China विश्व का सबसे बड़ा air purifier shaanxi province के xian में स्थापित किया है जो 10 sq km दायरे के हवा को शुद्ध कर देता है। इस तरह के technology को हमें भी अपनाना चाहिए जिससे Big City के हवा को शुद्ध किया जा सकता है।

****

Patna : 06.02.2020